न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 09 सन 2021

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रमेश्वरी पत्नी सहीराम पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
2. मन्जू पत्नी माडुराम पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
3. बिमला पत्नी जगदीश पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
4. प्रवीण पत्नी श्यामलाल पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ
5. बिमला पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
6. रजनी पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
7. भानीराम पुत्र सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
8. कुन्दन पुत्र सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
9. सन्तोष पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
10. पूर्णी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
11. ककु पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
12. टिनु पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
13. सुबेसिह पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
14. महेन्द्र पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
15. पूजा पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
16. गोरीशंकर पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
17. मदन नाबालिग पुत्र माडुराम जरिये माता मन्जू पत्नी माडुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
18. सेठी पुत्र जगदीश पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
19. शिल्पा पुत्र जगदीश पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
20. अनु नाबालिग पुत्री जगदीश जरिये माता बिमला पत्नी जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
21. संजय नाबालिग पुत्र जगदीश जरिये माता बिमला पत्नी जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
22. दिक्षा नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
23. सायल नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
24. प्रिंस नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
25. कौशल्या पुत्री भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
26. सुरेश कुमार पुत्र भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
27. मन्जू पुत्री भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
29. ज्योति पत्नी पवनकुमार पुत्री भवंरी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
30. जानवी नाबालिग पुत्री पवन कुमार जरिये माता ज्योति पत्नी पवन कुमार जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 699/701 की कुल 2.6560हैक व खाता संख्या 386/477 की कुल 5.1090हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी के पिता सन्तुराम का देहान्त हो चुका है जरिये जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्री सहीराम , भवंरी , पूर्णा , धर्मपाल ,ककु , मोडुराम , जगदीश , श्यामलाल है जिनमें से सहीराम , भवरी , मोडुराम , जगदीश , श्यामालाल का देहान्त हो चुका है एवं सन्तलाल की पुत्री भंवरी का एक पुत्र पवन कुमार भी फोत जो चुका है इसप्रकार सन्तलाल के जायज जीवीत वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 सन्तुराम के पुत्र सहीराम के वारिसान है , प्रतिवादी संख्या 10 ,11 वादी की बहन एवं सन्तलाल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 माडुराम के वारिसान एवं उसकी पुत्री मन्जु के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 सन्तुराम के पुत्र जगदीश के वारिसान है , प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 सन्तुराम के पुत्र श्यामलाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 24 ता 29 सन्तुराम की पुत्री भवंरी एवं उसके पुत्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सन्तुराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सन्तुराम पुत्र आईदान के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है सन्तुराम के जायज जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी माता/दादी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 30 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 699/701 की कुल 2.6560हैक व खाता संख्या 386/477 की कुल 5.1090हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी के पिता सन्तुराम का देहान्त हो चुका है जरिये जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्री सहीराम , भवंरी , पूर्णा , धर्मपाल ,ककु , मोडुराम , जगदीश , श्यामलाल है जिनमें से सहीराम , भवरी , मोडुराम , जगदीश , श्यामालाल का देहान्त हो चुका है एवं सन्तलाल की पुत्री भंवरी का एक पुत्र पवन कुमार भी फोत जो चुका है इसप्रकार सन्तलाल के जायज जीवीत वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 सन्तुराम के पुत्र सहीराम के वारिसान है , प्रतिवादी संख्या 10 ,11 वादी की बहन एवं सन्तलाल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 माडुराम के वारिसान एवं उसकी पुत्री मन्जु के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 सन्तुराम के पुत्र जगदीश के वारिसान है , प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 सन्तुराम के पुत्र श्यामलाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 24 ता 29 सन्तुराम की पुत्री भवंरी एवं उसके पुत्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 699/701 की कुल 2.6560हैक व खाता संख्या 386/477 की कुल 5.1090हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता सन्तुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सन्तुराम पुत्र आईदान के नाम से दर्ज है वादी के पिता सन्तुराम पुत्र आईदान का देहान्त हो चुका है वारिसान उसके पुत्र /पुत्री सहीराम , भवंरी , पूर्णा , धर्मपाल ,ककु , मोडुराम , जगदीश , श्यामलाल है जिनमें से सहीराम , भवरी , मोडुराम , जगदीश , श्यामालाल का देहान्त हो चुका है एवं सन्तलाल की पुत्री भंवरी का एक पुत्र पवन कुमार भी फोत जो चुका है इसप्रकार सन्तलाल के जायज जीवीत वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो सन्तलाल के नाम से दर्ज भूमि को विरासतन से पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 29 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 699/701 की कुल 2.6560हैक एवं खाता संख्या 386/477 की कुल 5.1090हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक सन्तुराम पुत्र आईदान का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में 1/32 हिस्सा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 ,30 के बहिब एवं शेष भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचों को बहिब को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6--7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :--

1. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रमेश्वरी पत्नी सहीराम पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
2. मन्जू पत्नी माडुराम पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
3. बिमला पत्नी जगदीश पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
4. प्रवीण पत्नी श्यामलाल पुत्र सन्तुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ
5. बिमला पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
6. रजनी पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
7. भानीराम पुत्र सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
8. कुन्दन पुत्र सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
9. सन्तोष पुत्री सहीराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
10.पूर्णी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
11.ककु पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
12.टिनु पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
13.सुबेसिह पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं ।
14.महेन्द्र पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
15.पूजा पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
16.गोरीशंकर पुत्र माडुराम पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
17.मदन नाबालिग पुत्र माडुराम जरिये माता मन्जू पत्नी माडुराम जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ
18.सेठी पुत्र जगदीश पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
19.शिल्पा पुत्र जगदीश पुत्र सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
20.अनु नाबालिग पुत्री जगदीश जरिये माता बिमला पत्नी जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
21.संजय नाबालिग पुत्र जगदीश जरिये माता बिमला पत्नी जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ
22.दिक्षा नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
23.सायल नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
24.प्रिंस नाबालिग पुत्र श्यामलाल पुत्र सन्तलाल जरिये माता प्रवीणा पत्नी श्यामलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
25.कौशल्या पुत्री भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
26.सुरेश कुमार पुत्र भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
27.मन्जू पुत्री भंवरीदेवी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
29.ज्योति पत्नी पवनकुमार पुत्री भवरी पुत्री सन्तलाल जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं
30.जानवी नाबालिग पुत्री पवन कुमार जरिये माता ज्योति पत्नी पवन कुमार जाति वाल्मिकी निवासी भूकरका तहसील नोहरं

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 09 सन 2021 निर्णय दिनांक-- 01/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 699/701 की कुल 2.6560हैव एवं खाता संख्या 386/477 की कुल 5.1090हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक सन्तुराम पुत्र आईदान का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में 1/32 हिस्सा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 ,30 के बहिब एवं शेष भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचों को बहिब को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/-- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)